न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 06/2024 निर्णय दिनांकः 27.08.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2024/12

सुनिता पत्नी शमशेरसिंह जाति जाट निवासी माण्ड़ौठी तहसील बहादुरगढ़ जिला झंझर (हरियाणा)।

—प्रार्थिनी—

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी माण्ड़ौठी तहसील बहादुरगढ़ जिला झंझर (हरियाणा)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. पैराकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थिनी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थिनी/वादिनी को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना हैं। प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 586/93 तादादी 0.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 587/93 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 589/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर व जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 21.02.2014 के द्वारा खरीदशुदा खेत खसरा नम्बर 588/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर वाकेरोही सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थिनी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं। प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा खेत खसरा नम्बर 588/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर का इंतकाल टेक्नीकल ऐरर के कारण राजस्व रिकार्ड में अभी दर्ज नही हुआ हैं। परन्तु उसका कब्जा, काश्त प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 का ही चला आ रहा हैं। प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य वादगत खेतो का आपस में मौखिक रूप से विभाजन हो रखा है, जिसके अनुसार प्रार्थिनी का उतरी तरफ का हिस्सा मौखिक बंटवारे में तय हो रखा है तथा उसी के अनुसार प्रार्थिनी का मौका पर कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। परन्तु चूंकि वादगत खेतो का विधिवत रूप से विभाजन नही हो रखा हैं तथा वादगत खसरा की भूमि मौका पर एकल है तथा अभी तक राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रार्थिनी का वादगत खेतो में उतरी तरफ के 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं तथा मौका पर कब्जा, काश्त के अनुसार सीवें भी कायम की हुई हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.05 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खातेदारी अभी तक संयुक्त रूप से चली आ रही हैं। प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा खेत खसरा नम्बर 588/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर रोही मौजा सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर खरीदशुदा भूमि है, परन्तु टेक्नीकल ऐरर के कारण प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज नही हुआ हैं और उक्त खेत अभी तक मूल खातेदार भंवरलाल के नाम से चला आ रहा हैं। परन्तु उक्त खेत पर कब्जा एवं काश्त व उपयोग व उपभोग प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 का ही चला आ रहा हैं। इस कारण भंवरलाल को पक्षकार नही बनाया गया हैं। प्रार्थिनी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 586/93 व 587/93 पर बीकानेर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बीकानेर के यहां से ऋण ले रखा था। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा हैं। प्रार्थिनी द्वारा उक्त ऋण की अदायगी कर दी गई हैं, जिसका रहन मुक्त प्रमाण पत्र भी दावा/प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। इसलिए दावा/प्रार्थना पत्र में बैंक शाखा को पक्षकार नही बनाया गया हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 586/93 तादादी 0.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 587/93 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 589/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 588/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर वाकेरोही सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थिनी का उतरी तरफ का 1/2 हिस्सा भूमि संयुक्त होने के कारण प्रार्थिनी अपने खेतो में विकास कार्य करवाने, ज्यादा उपजाऊ बनाने व केसीसी आदि करवाने से पूर्णतया वंचित हो रही हैं। इतने दिनो तक प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य मधुर संबंध थे, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 का व्यवहार प्रार्थिनी के प्रति खराब हो गया तथा अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थिनी के साथ लडाई झगड़ा करने लग गया तथा प्रार्थिनी को उसकी संयुक्त खातेदारी के खेतो में स्थित हिस्सा भूमि पर जाने से अवरोध पैदा करने लग गया हैं तथा ऐलानियां धमकियां दे रहा है कि मैं वादगत खेतो में स्थित तुम्हारे हिस्सा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर बेदखल करके तुम्हारी हिस्सा भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर दूंगा। प्रार्थिनी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वादगत खेतो में हमारा भी संयुक्त रूप से हिस्सा चला आ रहा है और हम लोग अपने मौका पर कब्जा के अनुसार खेतो को काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है, अगर आपने जबरदस्ती मेरे हिस्सा पर किसी अजनबी व्यक्ति को काबिज करवा दिया तो हम लोग तो अपने हिस्सा से वंचित हो जाऊगीं और मेरे परिवारवालों की भूखो मरने की नौबत आ जायेगी । परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 नही माना और धमकी देने लगा कि मैं ना तो तुम्हे तुम्हारे हिस्सा में प्रवेश करने दूंगा ना ही काश्त करने दूंगा, मुझे अच्छी किमत मिल रही है, इसलिए मैं उक्त खेतो में तुम्हारे हिस्सा को सामिल करते हुये वादगत खेतो की सम्पूर्ण भूमि को अजनबी व्यक्ति को विक्रय करके ही रहूंगा । तब प्रार्थिनी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया आप आपसी सहमति से वादगत खेतो का विभाजन करवा लेवें, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने आपसी सहमति से विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया। इस कारण प्रार्थिनी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं । इसलिए प्रार्थिनी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 का वादगत खेतो को संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नही रहा है, अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो गई है, वह प्रार्थिनी को उसके हिस्सा से बेदखल कर जबरदस्ती किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.05 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

करने पर तुला हुआ हैं । इस कारण प्रार्थिनी के लिए वादगत खेतो का मौका पर अपने कब्जा, काश्त के अनुसार विभाजन करवाना आवश्यक हो गया हैं। प्रार्थिनी को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उसकी खातेदारी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाने से दिनांक 30.12.2023 को इन्कार करने तथा प्रार्थिनी को उनके हिस्सा से बेदखल कर सम्पूर्ण खातेदारी भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी गई हैं। इसलिए प्रार्थिनी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 586/93 तादादी 0.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 587/93 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खेत खंसरा नम्बर 589/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 588/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर वाकेरोही सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थिनी का उतरी तरफ का 1/2 हिस्सा भूमि हैं। जिस पर वादिनी का कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं । इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त प्रार्थिनी के पक्ष में बनता हैं । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना विभाजन करवाये ही वादगत खेतो को विक्रय करने की धमकी दी है, यदि अप्रार्थीगण अपने इस गलत मंशुबो में सफल हो गये तो प्रार्थिनी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थिनी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 586/93 तादादी 0.7600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 587/93 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 589/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 588/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर वाकेरोही सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को बिना खाता विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, बैय, हस्तान्तरण या अन्य किसी दिगर प्रकार से मुन्तिकल नही करें, प्रार्थिनी को काश्त से वंचित नही करें, प्रवेश करने में बाधा विघ्न पैदा नही करें, प्रार्थिनी के कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखअंदाजी पैदा करें तथा ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नही करें, जिससे प्रार्थिनी के हितो पर विपरीत असर पड़ता हो।

प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर [illegible] अधिवक्ता की बहस करतें हुए कथन किया कि प्रार्थिनी ने उक्त दावा गलत व [illegible] के आधार पर प्रस्तुत किया है, प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 588/93 [illegible] इन्तकाल अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 [illegible] की भूमि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 09.11.2023 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मैसर्स [illegible]वाड़ा सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.05 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पंजीकृत कार्यालय सी–11, सेक्टर–65, गोतम बुद्ध नगर, नोयड़ा (उ.प्र.) को जरिये अधिकृत प्रतिनिधि शंकरलाल पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी राणासर जिला चूरू बएवज 20,00,000/– रुपये अखरे बीस लाख रुपये में विक्रय कर दी गई और क्रेता को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया । वादगत खसरा नम्बर 589/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/93 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586/93 तादादी 0.7600 हैक्टेयर रोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित प्रार्थिया अपना 1/2 हिस्सा को विक्रय कर चुकी है और मौके पर क्रेता कम्पनी को कब्जा सौंप दिया गया है । वर्णित खसरान भूमि में प्रार्थिया का कोई हक, हिस्सा व अधिकार बकाया नहीं रहा है। इन खसरान भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदारी मुझ अप्रार्थी के नाम थी, मुझ अप्रार्थी द्वारा भी दिनांक 09.11.2023 को इन खसरान भूमि में स्थित अपने 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि को मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा. लि. को विक्रय कर कब्जा सौप दिया। अब इन वर्णित खसरान भूमि में मुझ अप्रार्थी व प्रार्थिया का कोई हक, हिस्सा व अधिकार शेष नहीं है, ना ही हमारा कब्जा है। प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी के खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 रोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपनी–अपनी 1/2–1/2 हिस्सा भूमि को मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा. लि. को विक्रय कर कब्जा सौप दिया है तो प्रार्थिया का वादगत खेतो के उतरी तरफ के 1/2 हिस्सा भूमि पर कोई कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग चला आना सम्भव ही नहीं है। प्रार्थिया ने तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 586/93, 587/93 को रहन मुक्त करवाने हेतु प्रार्थिया ने मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा.लि. से रुपये लेकर बैंक का बकाया चुकता किया, बैंक बकाया चुकता होने पर बैक द्वारा ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया, बैंक द्वारा ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही प्रार्थिया की ओर से दिनांक 09.11.2023 को मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा.लि. के पक्ष में विक्रय पत्र तहरीर व तकमील व पंजीकृत करवाया गया था। खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 रोही सूडसर के खातेदारी में स्थित 1/2 हिस्सा भूमि को प्रार्थना पत्र दायरी से पहले ही दिनांक 09.11.2023 को मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा. लि. को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया था तो प्रार्थिया का इन खेतो में अधिकार समाप्त हो गया, जब इन खेतो में प्रार्थिया का कोई अधिकार ही नहीं है, ना ही कब्जा है तो प्रार्थिया को इन खसरान भूमि से बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादगत खेत खसरा नम्बर 586/ 93, 587/93, 589/93 में प्रार्थिया का कोई हक, हिस्सा, अधिकार शेष नहीं है, ना ही प्रार्थिया का कब्जा है तो प्रार्थिया को इन खसरान भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थिया क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है । प्रार्थिया ने इन खसरान भूमि बाबत दिनांक 09.11.2023 को मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा.लि. के पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र को छिपाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो व्यक्ति क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आता है, उसे न्यायालय से किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। प्रार्थिया [illegible]6/93, 587/93, 589/93 की खातेदारी में से अपने 1/2 हिस्सा को दिनांक [illegible].11.[illegible]3 को विक्रय कर दिया था और क्रेता को कब्जा सौप दिया था और मुझ अप्रार्थी [illegible] इन खसरान भूमि में स्थित अपनी खातेदारी भूमि को विक्रय कर दिया था तो प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी का इन खसरान भूमि में हित समाप्त हो गया व प्रार्थिया को इन खसरान बा[illegible] विभाजन करवाने का कोई अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.05 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नही है। प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी ने वादगत खसरान भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर चुके है तथा अब वादगत खसरान भूमि में कोई हक, अधिकार शेष नहीं रहा है तो प्रार्थिया को अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने का का अधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 में प्रार्थिया का हक समाप्त हो चुका है तथा खसरा नम्बर 588/93 में प्रार्थिया के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हुई है, इसलिये प्रार्थिया का कतई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है व ना ही सुविधा संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थिया के पक्ष में है। जब प्रार्थिया अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर चुकी है तो अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थिया के पक्ष में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खेत खसरा नम्बर 586/93 तादादी 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/93 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589/93 तादादी 0.8300 हैक्टेयर रोही सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी में प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा खातेदारी स्थित थी । प्रार्थिया द्वारा दिनांक 22.09.2023 को इन खसरान बाबत श्री बलवीरसिंह पुत्र झबरसिंह जाति राजपूत निवासी बरबट्टा जिला नागौर के पक्ष में मुख्त्यारनामा तहरीर व तकमील करवाकर उपपंजीयक (प्रथम) बीकानेर के यहां पंजीकृत करवाकर अपना मुख्त्यार नियुक्त किया। प्रार्थिया के मुख्त्यार ने अपने प्रिन्सीपल यानि प्रार्थिया के निर्देशानुसार उक्त खेतो में स्थित प्रार्थिया के 1/2 हिस्सा जमीन को दिनांक 09.11.2023 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय सी–11, सेक्टर–65, गोतम बुद्ध नगर, नोयड़ा (उ.प्र.) को विक्रय बएवज 20,00,000/– रुपये अखरे बीस लाख रुपये कर दिया तथा विक्रित भूमि का कब्जा क्रेता का सौप दिया। इस प्रकार इन खेतो में प्रार्थिया का हक, हित, अधिकार व हिस्सा समाप्त हो गया, इसी दिन ही मुझ अप्रार्थी द्वारा भी इन खेतो में स्थित अपने 1/2 हिस्सा भूमि को जरिये मुख्त्यार उक्त मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा.लि. को विक्रय कर कब्जा सौप दिया, चूंकि वर्णित खेतो के खातेदारी में स्थित प्रार्थिया व मुझ अप्रार्थी द्वारा अपना–अपना हिस्सा विक्रय कर दिया था, इसलिये प्रार्थिया को इन खेतो बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा। प्रार्थिया ने बिना अधिकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिज है । प्रार्थिया ने दिनांकित 09.11.2023 को मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा. लि. के पक्ष में खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 रोही सूडसर बाबत सम्पादित विक्रय पत्र को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है, महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाया है, इसलिये प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर काबिले खारिज है। खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 में स्थित प्रार्थिया के 1/2 हिस्से को विक्रय किया जा चुका है, इसलिये इन खसरान भूमि में प्रार्थिया का कोई हक, अधिकार नहीं रहा है। खसरा नम्बर 588/93 की खातेदारी अभी तक प्रार्थिया के नाम दर्ज नहीं हुई है, इसलिये प्रार्थिया को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मिथ्या व तंग करने वाला दावा है। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में वर्णित जिन तथ्यो का जबाब अंकित होना रह गया है, उनको स्पेशिक डिनायल समझा जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 35ए सी.पी.सी के तहत कम्पनसेन्टरी कॉस्ट लगाकर खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.05 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोन किया गया। । प्रार्थिया ने दिनांक 09.11.2023 को मैसर्स अवाड़ा सोलर पॉवर प्रा. लि. के पक्ष में खेत खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 रोही सूडसर बावत सम्पादित विक्रय पत्र को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है, प्रार्थिनी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाया है। खेत खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 में स्थित प्रार्थिया के 1/2 हिस्से को विक्रय किया जा चुका है, इसलिये इन खसरान भूमि में प्रार्थिया का कोई हक, अधिकार नहीं रहा है। खेत खसरा नम्बर 588/93 की खातेदारी अभी तक प्रार्थिया के नाम दर्ज नहीं हुई है। परन्तु खेत खसरा नंबर 588/93 प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है। हक एवं स्वामित्व का निर्धारण मूल वाद में ही तय किये जाने है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीनी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 586/93, 587/93, 589/93 रोही सूडसर बाबत जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं खेत खसरा नम्बर 588/93 रोही सूडसर में संबंध में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के स्थान पर तादावा फैसला मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.05 11:48:56 IST
Reason: SelfAttested